

## प्रेस नोट

थाना बबीना, जनपद झाँसी

दिनांक- 03.07.2026

- झाँसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही ,
- थाना बबीना पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तगण गिरफ्तार,
- गिरफ्तार अभियुक्तगण को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया,

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ एवं पुलिस महानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.07.2026 को थाना बबीना पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय से केस संख्या 6832/14, अपराध संख्या 200/13, धारा 26 व 63 वन संरक्षण अधिनियम एवं 3 लोक संपत्ति निवारण अधिनियम के अंतर्गत निर्गत गैर-जमानती वारंट (NBW) के अनुपालन में वारंटी अभियुक्तगण 1. शोभाराम आदिवासी पुत्र चेपे आदिवासी, उम्र करीब 45 वर्ष तथा 2. हरीलाल पुत्र छोटेलाला, उम्र करीब 50 वर्ष, निवासीगण ग्राम सिमरिया, थाना बबीना, जनपद झाँसी को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त - 1. शोभाराम आदिवासी पुत्र चेपे आदिवासी, उम्र करीब 45 वर्ष तथा

2. हरीलाल पुत्र छोटेलाला, उम्र करीब 50 वर्ष, निवासीगण ग्राम सिमरिया, थाना बबीना, जनपद झाँसी

गिरफ्तार करने वाली टीम के नाम:-

- 1.उ0नि0 प्रशान्त सिंह थाना बबीना जनपद झाँसी ।
- 2.उ0नि0 जितेन्द्र सिंह थाना बबीना जनपद झाँसी ।
- 3.रि0आ0 अभिषेक कुमार थाना बबीना जनपद झाँसी ।